कार्यालय कलेक्टर (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण शाखा) बिलासपुर छ.ग.

रूचि की अभिव्यक्ति

युवा कैरियर निर्माण योजना 2015 में दिये निर्देशानुसार बिलासपुर में स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से बैकिंग भर्ती बोर्ड/रेल्वे भर्ती बोर्ड/कर्मचारी चयन आयोग/छ.ग. व्यापम एवं अन्य संस्थाओ द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पात्रता रखने वाले प्रतिभावान अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियो को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) उपलब्ध कराने हेतु नीचे लिखे शर्तों के अधीन <u>रूचि की अभिव्यक्ति</u> आमंत्रित की जाती है।

1. कोचिग संस्था का चयन गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जावेगा।
2. आवेदक संस्था का सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/ छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1956 /सेक्शन 25 कम्पनी आफ दी कम्पनीज एक्ट 1956 /ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य) के तहत् पंजीकृत होना आवश्यक है। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष पूर्व का होना चाहिए।
3. संस्था का पैन नं./टैन नं./जी.एस.टी. नवीन नंबर अनिवार्यतः होना चाहिए।
4. विगत 3 वर्षों का चार्टर्ड एकाउन्टेट का आडिट रिपोर्ट।
5. विगत 3 वर्षों में संस्था का औसत टर्न ओवहर 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए।
6. निजी कोचिंग संस्थाओं से रूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त होंने पर दस्तावेजों का परीक्षण कर उपयुक्त पाई गई संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित किया जायेगा। तकनीकी प्रस्तुतीकरण पश्चात् गुणात्मक मूल्यांकन के 60प्रतिशत तथा वित्तीय निविदा के 40प्रतिशत वेटेज के आधार पर गणना कर संस्थाओं के चयन हेतु मैरिट कम निर्धारित किया जाएगा।
7. किसी संस्था के चयन किए जाने की प्रकिया में उस संस्था के विषय विशेषज्ञ/प्रशिक्षको की सूची / योग्यता(न्यूनतम स्नातकोत्तर) का परीक्षण भी चयन समिति द्वारा किया जावेगा। उन विषय विशेषज्ञों की सूची, योग्यता, अनुभव, फोटो सहित अनिवार्यत संलग्न करें, जो कोचिंग देने का कार्य करेंगे। विषय विशेषज्ञो को अपर संचालक की अनुमति के बिना बदला नही जाएगा।(प्रारूप संलग्न) लिफाफा एक मे देगे।
8. एक कोचिंग संस्था को एक ही परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र मे कोचिग देने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप) मे लिफाफा एक मे देना होगा।

9. प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध कराये जाने वाले मल्टीमीडिया सुविधाओं की उपलब्धता का विवरण (संलग्न प्रारूप) मे लिफाफा एक मे संलग्न करे। तथा प्रशिक्षर्णथियो को प्रतिमाह अध्ययन सामग्री का वितरण कार्यालयीन अधिकारियो के समक्ष करना होगा। अध्ययन सामग्री का विवरण (संलग्न प्रारूप) मे लिफाफा एक मे संलग्न करे।
10. संस्था पर 31.03.2017 की स्थिति मे किसी भी प्रकार का शासकीय / अर्धशासकीय टैक्स बकाया नहीं है, एवं शासन द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही है (संलग्न प्रारूप) मे प्रमाण पत्र लिफाफा एक मे संलग्न करे।
11. निविदा के साथ संलग्न अभिलेखों को निविदा दाता द्वारा स्व प्रमाणित करना अनिवार्य होगा।
12. आवश्यकतानुसार कोचिंग संस्था के कार्य स्थल/पता का निरीक्षण या सत्यापन किया जा सकेगा।
13. इच्छुक कोचिंग संस्था दो बंद लिफाफे में अपना निविदा प्रस्ताव करेंगे। एक बंद लिफाफे में संस्था का नियमावली(बायलाज) एवं संलग्न प्रारूपो मे प्रमाण पत्र, अन्य अभिलेखो की जानकारी तथा दूसरे बंद लिफाफे में अनुमानित व्यय विवरण (वित्तीय निविदा) रखा जाए। दूसरे बंद लिफाफा (वित्तीय निविदा) में दर की ईकाई प्रति छात्र प्रतिमाह शिक्षण शुल्क के आधार पर दर्शाना होगा। (प्रारूप संलग्न) दोनों बंद लिफाफे को एक बडे लिफाफे में सील बंद करना होगा। बडे लिफाफे पर योजना का नाम अंकित हो।
14. सर्वप्रथम पहला लिफाफा खोला जावेगा प्रथम लिफाफे में चाहे गए अभिलेख पाये जाने एवं परीक्षण में सही पाये जाने पर ही द्वितीय लिफाफा खोला जावेगा। प्रथम लिफाफे में सभी अभिलेख नहीं पाये जाने पर या परीक्षण में कोई अभिलेख गलत पाये जाने पर द्वितीय लिफाफा नहीं खोला जावेगा। एवं निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
15. निविदा सील बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक से **25 सितम्बर 2017 को अपरान्ह 5:30 बजे** तक **कार्यालय अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र साईस कालेज के पास(चांटीडीह) बिलासपुर** को प्राप्त हो जाना चाहिए। निविदा खोलने की तिथि एवं प्रस्तुतीकरण की तिथि की सूचना संबंधित निविदादाता या अधिकृत प्रतिनिधि को बाद मे सूचित कर दी जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाता स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

16. प्रशिक्षार्थीयों के चयन हेतु समाचार पत्रों मे विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यालय अपर संचालक प.पू.प्र.के. बिलासपुर द्वारा जारी की जावेगी तथा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण, प्राक्चयन परीक्षा/काऊंसिलिंग का आयोजन, परीक्षा परिणाम तैयार करना, अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची, प्रतीक्षा सूची तैयार करना, कक्षा आरंभ करना आदि कार्य अपर संचालक प.पू. प्र. के बिलासपुर के देखरेख एवं अनुमोदन अनुसार अनुबंधित कोचिंग संस्था द्वारा किया जाएगा।
17. अनुबंधित कोचिंग संस्था को कार्यालय द्वारा निर्मित शर्तो के अधीन तथा योजना के नियमों से अवगत होकर परिपालन संबंधी स्वीकृति पत्र देना होगा तथा निविदाकर्त्ता से नान ज्यूडिशियन स्टाम्प पेपर पर सशर्त सहित अनुबंध करना होगा।
18. अनुबंधित कोचिंग संस्था को अनुबंध दिनांक से 1 माह के अंदर प्रशिक्षण अनिवार्यतः प्रारंभ करना होगा। अनुबंधित कोचिंग संस्था अनुमोदित प्रशिक्षार्थियों को ही कोचिंग देंगे।
19. अनुबंधित संस्था को कार्यालयीन समय 10:30 से 5:30 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम (कोचिंग) संचालित करना होगा।
20. अनुबंधित कोचिंग संस्था द्वारा अधिकतम 100 प्रशिक्षार्थियों को 1 वर्ष के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा।
21. कोचिंग हेतु चयनित प्रशिक्षार्थियों की प्रतिदिन की उपस्थिति कार्यालय द्वारा निर्देशित कर्मचारी द्वारा ली जायेगी। उपस्थिति पंजी में प्रशिक्षार्थीयों से लघु हस्ताक्षर कराया जायेगा। कोचिंग संस्था के प्रशिक्षक द्वारा भी उपस्थिति का संत्यापन किया जावेगा। कार्यालय द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण कक्ष, कम्प्युटर कक्ष, कार्यालय कक्ष , बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।
22. कोचिग संस्था का प्रवेशित प्रशिक्षार्थियो का साप्ताहिक, मासिक ,त्रैमासिक, एवं छैःमाही मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन के आधार पर प्रशिक्षार्थियों के अध्ययन में सुधार हेतु सुझाव तथा अध्यापन गुणवत्ता में सकारात्मक प्रयास करना होगा। मूल्यांकन संबंधी अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा।
23. प्रशिक्षण गुणवत्ता को बनाये रखने की दृष्टि से प्रशिक्षण सामग्रीयों के स्तर व चयन,, टाईम टेबल, मूल्यांकन परीक्षा प्रविधि आदि के संबंध में गठित समिति के सदस्यो/ अपर संचालक प.पू.प्र.केन्द्र बिलासपुर द्वारा आवश्यक सुझाव दिये जा सकेंगे, जिसे अनुबंधित कोचिंग संस्था में मान्य होगा।

24. प्रतियोगी परीक्षाओं में आनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था का दायित्व कोचिंग संस्था का होगा। प्रशिक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम का फालोअप भी कोचिंग संस्था को करना होगा साथ ही कार्यालय को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। व्यक्तित्व विकास, इग्लिश स्पोकन ,समूह चर्चा ,साक्षात्कार की तैयारी हेतु (माकडील) अनुबंधित कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

25. प्रशिक्षण केन्द्र में स्वीकृत सीट 100 होगी। अभ्यर्थी बैकिंग, रेल्वे ,एस.एस.सी ,छ.ग. व्यापम एवं अन्य आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित किये जायेंगे। निःशुल्क कोचिंग हेतु 50 : 30 : 20 के अनुपात में क्रमशः अनुसूचित जनजाति/अनुसूचति जाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के प्रशिक्षार्थी होगे। किसी वर्ग मे सींट रिक्त होने पर अनुसूचित जनजाति/अनुसूचति जाति तथा अन्य पिछडा वर्ग से परस्पर भर्त्ती या प्रतीक्षा सूची / विज्ञापन के माध्यम से/ स्थानीय काउसलिंग से अपर संचालक के अनुमोदन पश्चात कोचिग संस्था द्वारा की जा सकेगी । उपरोक्त सीट वितरण मे प्रत्येक वर्गवार 33प्रतिशत महिलाए होगी।

26. अनुबंध अवधि के दौरान किसी प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन जारी होने पर अनुबंधित कोचिंग संस्था को परिणामोन्मुखी क्रैश कोर्स का संचालन करना होगा जिसकी अधिकतम अवधि 2 माह तक हो सकती है। इसके लिए कोचिंग संस्था को पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी। तथापि क्रैश कोर्स में सम्मिलित अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग के प्रशिक्षार्थीयों का प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने पर उसकी गणना संस्था की उपलब्धियों में की जा सकेगी।

27. निविदादाता संस्था के चयन व अनुबंध उपरांत यदि अनुबंध या निविदा अनुसार प्रशिक्षण हेतु सुविधा उपलब्ध नही कराया जाता है या किसी शर्तो का उल्लंधन करता है तब उसकी सुनवाई का अवसर एवं स्पष्टीकरण पर विचार उपरांत उस माह मे देय राशि का 2प्रतिशत राशि आर्थिक दण्ड के बतौर कटौती कर ली जावेगी।

28. चयनित कोचिग संस्था को आगामी 3 प्रशिक्षण सत्र के लिये अनुबंधित किया जावेगा। प्रतिवर्ष प्रशिक्षण समाप्ति उपरांत कोचिग संस्था के कार्य / उपलब्धियो की समीक्षा की जावेगी। कार्य / उपलब्धिया असंतोषप्रद पाये जाने पर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निविदाकर्त्ता द्वारा अनुबंध को निरस्त (भंग) किया जा सकता है।

29. कोचिंग हेतु अनुबंधित संस्था को स्वीकृत निविदा राशि का 60प्रतिशत का भुगतान स्वीकृत सीट संख्या के आधार पर प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों के लिए अनुबंध अनुसार निर्धारण किस्तों में किया जाएगा। जबकि शेष 40प्रतिशत राशि (कुल देय राशि का 10प्रतिशत सुरक्षा निधि सहित) का भुगतान प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रशिक्षार्थियों के चयन के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु बैकिंग भर्ती बोर्ड रेल्वे भर्ती बोर्ड। कर्मचारी चयन आयोग। छ.ग. व्यापम एवं अन्य आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में कुल प्रवेशित अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्रों का चयन अनुबंध अवधि में आयोजित तथा अनुबंध में उल्लेखित सभी संबंधित परीक्षाओं में सम्मिलित रूप से होना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित 40 प्रतिशत राशि में से अनुपातिक कटौती की जा सकेगी। 15 प्रतिशत से कम चयन हाने पर 40 प्रतिशत सम्पूर्ण राशि की कटौती की जा सकेगी। अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने पर प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर शेष 40प्रतिशत की राशि का भुगतान किया जावेगा।
30. कोचिंग संस्था को राशि का भुगतान आयकर विभाग के दिशा निर्देश के तहत् आयकर विभाग के दिशा निर्देश के तहत् टी.डी.एस कटौती उपरांत किया जायेगा।
31. कोचिग संस्था द्वारा प्रशिक्षार्थियो के प्रोत्साहन, ज्ञानवर्धक के लिये अनिवार्य रूप से प्रतिमाह प्रशिक्षु आई.ए.एस./ राज्य प्रशासनिक सेवा / बैकिग / रेल्वे के अधिकारियो को अनिवार्यतः आमंत्रित कराना होगा।
32. निविदा फार्म कार्यालयीन अवधि में 1000रूपये (एक हजार) का बैंक ड्रॉफ्ट (अपर संचालक परीक्षार्थी पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर के नाम से देय) को जमा कर प्राप्त कर सकते है। अथवा आयुक्त के वेबसाईड www.tribal.cg.gov.in एवं www.bilaspur.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउन लोडकर निविदा जमा करने के समय निविदा फार्म की कीमत 1000/-(एक हजार रू.) कार्यालय को देना होगा।
33. निविदा को किसी कंडिका के संबंध में विवाद या असहमति होने पर आयुक्त अ.जा.क रायपुर का निर्णय अंतिम होगा।
34. इच्छुक कोचिंग संस्थान आवेदन का प्रारूप / योजना की जानकारी एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र साईस कालेज के पास चांटीडीह बिलासपुर से स्वतः प्राप्त कर सकते है।
35. निविदाकर्त्ता द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये या पूर्व सूचना के निविदा को निरस्त किया या संशोधित किया जा सकता है।

36. चयनित कोचिग संस्था के कार्यो / गुणवत्ता का समय–समय पर मानिटरिग करने हेतु निविदाकर्त्ता द्वारा समिति का गठन किया जा सकेगा।

37. चयनित कोचिग संस्था को प्रशिक्षण अवधि मे प्रशिक्षण बंद करने पर कोचिग संस्था की अमानत राशि राजसात करते हुए कोचिग को (ब्लैक लिस्टेड)काली सूची मे डालने की कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः– 1. आवेदन पत्र का प्रारूप भाग 01 एवं भाग 02 तथा अन्य प्रमाण पत्रो का प्रारूप

2. घोषणा पत्र

कलेक्टर

जिला बिलासपुर छ.ग.

(7)

– धोषणा पत्र –

एतद् द्वारा संस्था यह घोषणा करती है कि –

1. उपरोक्त आवेदन पत्र मे प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं संलग्न अभिलेख सत्य है, एवं इसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक संस्था का होगा। किसी भी स्तर पर अभिलेख अपूर्ण या असत्य पाए जाने पर या शिकायत प्राप्त होने तथा सही पाए जाने पर संस्था का प्रस्ताव निरस्त किया जा सकता है एवं देय राशि वसूली योग्य होगी तथा संबधित संस्था पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
2. विभाग द्वारा अध्यापन / प्रशिक्षण (कोचिग) कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति मे संस्था द्वारा विभागीय निर्देशें / अनुबंध का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि मे कार्य पूर्ण किया जावेगा।

स्थानः–
दिनांक

संस्था प्रमुख हस्ताक्षर एवं सील

कार्यालय कलेक्टर (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण शाखा) बिलासपुर छ.ग.

द्वारा जारी

रूचि की अभिव्यक्ति मे वांछित जानकारी

भाग – एक

क.	वांछित जानकारी	विवरण	
1	जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है।		
2	कोचिग संस्था का नाम (प्रोफाईल पृथक से संलग्न करे)		
3	कोचिंग संस्था का पूर्ण पता (दूरभाष एवं फैक्स नं. एवं ई–मेल सहित)		
4	कोचिंग संस्था का पंजीयन क. / दिनांक (पंजीयन प्रमाण पत्र छायाप्रति, बायलाज के साथ संलग्न करे)		
5	अधिनियम जिसके तहत संस्था पंजीकृत है, जानकारी दे।		
6	क्या संस्था को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है, यदि हॉ तो जानकारी दे।		
7	संस्था की छत्तीसगढ़ स्थित शाखा प्रमुख का नाम एवं पता (दूरभाष एवं फैक्स नं. सहित)		
8	संस्था द्वारा अध्यापन एवं प्रशिक्षण कार्य(कोचिग कार्य) हेतु नियोजित शिक्षको का नाम, शैक्षणिक योग्यता तथा पूर्व विषयवार अध्यापन 02 पासपोर्ट का विवरण। सूची संलग्न करे।		
11	संस्था का अंकक्षेण प्रतिवेदन (विगत 03 वर्षो का संलग्न करें)		
12	विगत 03 वित्तीय वर्षो मे संस्था का टर्न ओव्हर	वित्तीय वर्ष	टर्न ओव्हर
		2014–15	
		2015–16	
		2016–17	
		03 वर्षो का औसत	
13	संस्था का आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2016–17 की छायाप्रति संलग्न करे।		
14	अन्य विवरण(संलग्नक)		

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं सील

९

कार्यालय कलेक्टर (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण शाखा) बिलासपुर छ.ग.

प्रारूप — 2

वित्तीय निविदा

(सील बंद द्वितीय लिफाफा)

क.	निविदा की ईकाई (प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह)	दर (अंको एवं शब्दो मे)	100 प्रशिक्षाथी के लिए एक वर्ष के लिए दर	रिमार्क
1	2	3	4	5

समस्त कर को शामिल करते हुए दर अंको शब्दो मे स्पष्ट दर्शाया जाये काटपीट (ओवरराइटिक) अमान्य की जावे।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं सील

सील :—

अध्ययन सामग्री (स्टेडी मटेरियल) विवरण

(स्वीकृत 100 सीट हेतु)

क.	प्रतियोगी पत्रिका का नाम	वितरण की अवधि मासिक /. त्रैमासिक/छेमाही/वार्षिक	रिमार्क
1.			
क.	विषयवार पुस्तक का नाम	वितरण की अवधि मासिक/त्रैमासिक/छेमाही/वार्षिक	
3.	अन्य सामग्री :—स्कूल बैग, नोटबुक,पेन, इत्यादि	मासिक त्रैमासिक / छमाही / वार्षिक	

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं सील

सील :—

विषय विशेषज्ञ / प्रशिक्षको का नाम

क.	विषय विशेषज्ञ / प्रशिक्षक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	स्नातकोत्तर विषय	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी	पासपोर्ट फोटो	

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं सील

सील :–

(12)

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी संस्था.. पर 31 मार्च 2017 की स्थिति मे किसी भी प्रकार का शासकीय /अर्धशासकीय कर(टेक्स) भुगतान हेतु बकाया नही है एवं न ही मेरी संस्था को काली सूची(ब्लैक लिस्टेड) किया गया है।

संस्था प्रमुख हस्ताक्षर एवं सील

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी संस्था.. द्वारा छत्तीसगढ़ मे स्थित किसी अन्य परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र मे वर्तमान सत्र मे प्रशिक्षण कार्य नही किया जा रहा है। चयन होने की दशा मे आगामी एक वर्ष मे प्रशिक्षण नही दिया जायेगा।

संस्था प्रमुख हस्ताक्षर एवं सील

मल्टीमीडिया सुविधाओ की उपलब्धता का विवरण

(13)

क.	विवरण	रिमार्क

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं सील